बिहार सरकार
समाहरणालय, सीवान
सीवान –841226
(जिला गोपनीय शाखा)

दूरभाष 06154–242099 (कार्या0)
06154–242860 (कार्या0)
06154–242098 (आवास)
06154–242348 (फैक्स)
email: dm-siwan.bih@nic.in

उप विकास आयुक्त,सीवान की अध्यक्षता में दिनांक–15.07.2019 को जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ हुई साप्ताहिक समन्वय (Coordination) बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितिः– पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् विभागवार कार्य की प्रगति की समीक्षा निम्न प्रकार की गई :–

1.1–**विधि शाखा**– समीक्षा करने पर लंबित एम0जे0सी0/सी0डब्लू0जे0सी0 की स्थिति निम्नवत पायी गयीः–

क्र0	एम0जे0सी0 संख्या	सम्बंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1	एम0जे0सी0 नं0– /19 बलिन्द्र चौधरी बनाम बिहार राज्य	जिला शिक्षा पदा0/ डी0पी0ओ0 एस0एस0ए0	बताया गया कि यह मामला वर्ष 2009 में दान स्वरूप दी गयी भूमि पर विद्यालय का निर्माण न कराकर दूसरी भूमि पर निर्माण कराने से संबंधित है। जिला शिक्षा पदा0/डी0पी0ओ0, एस0एस0ए0 को तुरंत एस0ओ0एफ0 तैयार करवाने का निदेश दिया गया।
2	एम0जे0सी0 नं0– /19 रमेश उपाध्याय बनाम बिहार राज्य	अंचलाधिकारी, दरौंदा	बताया गया कि एस0ओ0एफ0 तैयार हो रहा है।
3	एम0जे0सी0 नं0– /19 ब्रजकिशोर सिंह बनाम बिहार राज्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी	बताया गया कि प्रधान सचिव के आदेश के बाद एस0ओ0एफ0 तैयार हो रहा है।
4	एम0जे0सी0 नं0– /2019 लालजी प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी,सीवान	बताया गया कि रिपोर्ट तैयार कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को भेज दिया गया है।उनके स्तर से एस0ओ0एफ0 दायर होगा।उन्हें निदेशक का पुनः ध्यान आकृष्ट करने के लिए स्मार देने का निदेश दिया गया।
5	एम0जे0सी0 नं0– /19 ओमप्रकाश राम बनाम बिहार राज्य	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीवान	जिला पंचायत राज पदाधिकारी को शीघ्र एस0ओ0एफ0 तैयार कर जिला विधि शाखा को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
6	एम0जे0सी0 नं0–2493/2016 मैनेजर चौधरी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	अनु0पदा0,सीवान/ अंचलाधिकारी, हुसैनगंज	बताया गया कि इसमें अंचल अधिकारी, हुसैनगंज के विरूद्ध अवमानना की कार्रवाई चल रही है। अगली सुनवाई की तिथि 19.07.19 के पूर्व अतिक्रमण वाद का पूर्ण निष्पादन कर कारण पृच्छा दायर करनी है। इससे संबंधित जमाबंदी रद्द करने का वाद अपर समाहर्ता के न्यायालय में चल रहा है। अपर समाहर्ता एवं अंचल अधिकारी से बात कर ससमय कार्रवाई सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

1.2–बताया गया कि सी0डब्ल्यू0जे0सी0 के तहत निम्नलिखित मामलों में भी निर्धारित समय–सीमा के अंदर तथ्य विवरणी दाखिल किया जाना आवश्यक है :–

क्र0	सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या	सम्बंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1	सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0–7571/19 विजेन्द्र कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य	अनु0पदा0,सीवान सदर/ अंचल अधिकारी, पचरूखी	बताया गया कि अभीतक एस0ओ0एफ0 नहीं मिला है जबकि दिनांक–16.05.19 के पूर्व ओथ दायर करना था। जिलाधिकारी के स्तर से स्पष्टीकरा पूछने का निदेश दिया गया।
2	सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–12323/ 2018 सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	अनु0पदा0,सीवान सदर/ अंचल अधिकारी, सिसवन	बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक–24.06.19 के चार सप्ताह के अंदर ओथ दायर करने का निदेश दिया गया है। अनु0पदा0 को अविलम्ब एस0ओ0एफ0 तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया।
3	सी0डबलू0जे0सी0 नं0 254/2018 उपेन्द्र ठाकुर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	प्र0वि0पदा0 गुठनी	माननीय न्यायालय द्वारा आखिरी मौका देते हुए अगली निर्धारित तिथि 30.07.19 के पूर्व पेंशन एवं ग्रेच्युएटी की बकाया राशि का भुगतान कर ओथ दायर करने का निदेश दिया गया है। प्र0वि0पदा0 से वार्ता कर ससमय कार्रवाई सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

4	सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–4570 /18 बिरेन्द्र कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	अंचलाधिकारी, दरौली	बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 22.07.19 को निर्धारित करते हुए पेंशन,बकाया वेतन एवं ए0सी0पी0 के लाभ का भुगतान करते हुए ओथ दायर करने का निदेश दिया गया है। अंचलाधिकारी से वार्ता कर इसका अनुपालन ससमय सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं प्रखण्डो के वरीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्राथमिकता के आधार पर वे निरंतर लंबित एम0जे0सी0/सी0डब्ल्यू0जे0सी0 के मामलों की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित समय–सीमा के अंदर प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दाखिल हो जाय। **(अनु0–सभी जिलास्तरीय पदा0)**

<u>2–लोक शिकायत निवारण</u>:– कोई समस्या नहीं बतायी गयी।

<u>3–आर0टी0पी0एस0</u>– बताया गया कि आज से नया सिस्टम लागू हो रहा है। इसके पूर्णतः कार्यान्वित होने में 10 दिन का समय लगेगा। इसे सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

4–विद्युत :– कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत द्वारा बताया गया कि कोई विशेष समस्या नहीं है। उन्हें निदेश दिया गया कि सभी नलकूपों में विद्युत कनेक्शन देना सुनिश्चित करें ताकि उन्हें चालू किया जा सके और उनका उपयोग पटवन में हो सके।

5–बाढ़ नियंत्रण:–बताया गया कि सभी तटबंधों का स्थल निरीक्षण कर लिया गया है और कहीं कोई समस्या नहीं है। तटबंध पर गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर उसकी निगरानी की जा रही है। उनके द्वारा बताया गया कि अभी घाघरा नदी दरौली एवं सिसवन में खतरे के निशान से 71 से0मी0 नीचे बह रही है और जल स्तर में गिरावट हो रही है। उनके द्वारा कहा गया कि अभी नदी में 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जबकि पिछले वर्ष इसी समय 5.30 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। उनके द्वारा बताया गया कि अभी सीवान जिला में कहीं भी बाढ़ का खतरा नहीं है।उन्हें तटबंध पर निगरानी रखने का निदेश दिया गया।

उप विकास आयुक्त द्वारा कहा गया कि जल निकासी के लिए कई पथो को काट दिए जाने/पानी लगने से क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन बंद होने की सूचना प्राप्त हो रही है। उनके द्वारा सभी कार्यपालक अभियन्ताओं को निदेश दिया गया कि वे अपने अपने पथों की जॉच कर लें और यदि कहीं पथ/पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन बंद है तो उसे अविलम्ब ठीक करा दें।

6–सामान्य शाखा–

6.1–बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग–बताया गया कि राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित मामले लम्बित हैं:–

क्र0	पत्र का विषय	भेजे गए पत्र की संख्या एवं दिनांक	पदा0 का पदनाम, जिन्हें पत्र कार्रवाई हेतु भेजा गया है।	अभ्युक्ति
1	हाजरा खातून, पति– मुन्ना अंसारी, ग्राम–थाना आंदर,जिला–सीवान का परिवाद पत्र	3145 दि0–26.10.18	थानाध्यक्ष, आंदर	स्मार देने का निदेश दिया गया।
2	श्रीमती कुसुम देवी, पति– ललन भगत, थाना–भगवानपुर हाट का परिवाद पत्र	339/सा0 दि0 07.02.19	अंचल अधिकारी, भगवानपुर हाट	कड़ा स्मार देने एवं दूरभाष पर बात कर प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
3	श्री रहमान मियाँ, पिता–आस मोहम्मद मियाँ	792 दिनांक 20.04.2019	प्रखण्ड विकास पदा0, बसंतपुर	कड़ा स्मार देने एवं दूरभाष पर बात कर प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

6.2–राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग–बताया गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित मामले लम्बित हैं:–

क्र0	पत्र का विषय	भेजे गए पत्र की संख्या एवं दिनांक	पदाधिकारी का पदनाम,जिन्हे पत्र कार्रवाई हेतु भेजा गया है।	अभ्युक्ति
1	रोपना उरावं, ग्राम–चन्दकोपी, प्रखण्ड बेरो, जिला–रांची का परिवाद पत्र	994 मु0 दि0 17.12.18	अनु0 पदाधिकारी, महाराजगंज	कड़ा स्मार देने एवं दूरभाष पर बात कर प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

6.3–राष्ट्रीय एवं बिहार अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग:–बताया गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से प्राप्त निम्नलिखित परिवाद पत्र अनुपालन हेतु लम्बित हैं:–

क्र0	पत्र का विषय	भेजे गए पत्र की संख्या एवं दिनांक	पदाधिकारी का पदनाम,जिन्हें पत्र कार्रवाई हेतु भेजा	अभ्युक्ति

			गया है।	
1	श्रीमती उषा देवी पति– स्व0 ललन साह, ग्राम–कौड़िया, थाना– भगवानपुर हाट, जिला– सीवान का परिवादपत्र	1518 दि0 02.07.18	प्र0वि0पदाधिकारी, भगवानपुर हाट	लम्बे समय से प्रतिवेदन लंबित रहने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया और प्र0वि0पदा0 से दूरभाष पर बात कर प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
2	श्री कामेश्वर बैठा,पिता– स्व0 मुन्नी लाल बैठा, ग्राम–पो0 बसां,थाना– बसंतपुर, जिला–सीवान के परिवाद पत्र के संबंध में।	695 दि0–10:04.17	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बसंतपुर	कड़ा स्मार देने एवं दूरभाष पर बात करने का निदेश दिया गया।
3	श्री बन्धु . साह, पिता–छटु साह, दरौली	768 दिनांक 20.04.2019	अंचलाधिकारी, दरौली	कड़ा स्मार देने का निदेश दिया गया।

6.4–बिधान सभा/विधान परिषद/लोक सभा प्रश्न–बताया गया कि निम्नलिखित विधान सभा/विधान परिषद/ लोक सभा प्रश्न अभी लम्बित हैं:–

क्र0	पत्र का विषय	भेजे गए पत्र की संख्या एवं दिनांक	पदाधिकारी का पदनाम,जिन्हें पत्र प्रतिवेदन भेजा गया	अभ्युक्ति
1	अनियोजन सांकेतिक भत्ता योजना वर्ष 1981–82 के अंतर्गत बिहार के सभी जिला में नियुक्त कर्मियों की अनियमित सेवा सम्पुष्टि की जॉच के सम्बंध में	3088 दिनांक–22.10.18	स्थापना उप समाहर्ता, सीवान	स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में प्रक्रियाधीन है।
2	लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 4476 की उत्तर सामग्री उपलब्ध कराने के सम्बंध में।	2883 दि0 24.09.18	जिला पंचायती राज पदाधिकारी,सीवान	कड़ा स्मार देने एवं स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।
3	श्री हरिशंकर यादव,माननीय स0वि0स0 द्वारा विधान सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0– ख–845 के आलोक में सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन 503/18 के संबंध में।	1037 दिनांक 06.06.19	जिला पंचायतीराज पदाधिकारी,सीवान	स्मार देने का निदेश दिया गया।
4	श्री केदार नाथ पाण्डेय, माननीय स0वि0पदा0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 आई0आर0–03	3462 दिनांक 10.12.18	अंचलाधिकारी, सीवान सदर/पचरुखी	बताया गया कि जिला सामान्य शाखा को प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिया गया है।
5	श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, माननीय स0वि0 स0 द्वारा प्रज्ञप्त याचिका संख्या 46/15 के संबंध में	1038 दिनांक 06.06.19	उप विकास आयुक्त सीवान	स्मार देने का निदेश दिया गया।
6	बिहार विधान परिषद के 117 वें सत्र में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 ई–254 की प्रश्नोत्तर सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में।	1157 दिनांक– 15.06.19	कार्यपालक अभियन्ता भवन प्रमण्डल, सीवान	स्मार देने का निदेश दिया गया।
7	श्री संजीव कुमार सिंह,मा0 स0वि0स0 द्वारा 192वॉ सत्र में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–पी0ए0ई0–02 के प्रश्नोत्तर के संबंध में।	1411 दिनांक– 06.0719	कार्यपालक पदा0 नगर पंचायत, गैरवा	स्मार देने का निदेश दिया गया।
8	श्री सत्यदेव राम माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–04.07.19 को पूछाजाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ज–40 की उत्तर सामग्री भेजने के संबंध में।		कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत,गैरवा	स्मार देने का निदेश दिया गया।
9	श्री सत्यदेव राम, मा0स0वि0प0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 ज–40की उत्तर सामग्री भेजने के संबंध में।	1411 दिनांक– 05.07.19	प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा सीवान	स्मार देने का निदेश दिया गया।
10	श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–फ–18 की उत्तर सामग्री भेजने के संबंध में।	1412 दिनांक– 06.07.19	उप विकास आयुक्त –सह–मुख्य कार्य0 पदाधिकारी, जिला परिषद,सीवान	स्मार देने का निदेश दिया गया।

11	माननीय स0वि0स0 श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 निबंध–01 की उत्तर सामग्री भेजने के संबंध में।	1357 दिनांक–02. 07.19	जिला अवर निबंधक, सीवान	स्मार देने का निदेश दिया गया।
12	श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत निवेदन सं0 1960/18 की उत्तर सामग्री भेजने के संबंध में।	1353 दिनांक– 02. 07.19	उप विकास आयुक्त, सीवान	स्मार देने का निदेश दिया गया।
13	श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत निवेदन सं0 1939/18 की उत्तर सामग्री भेजने के संबंध में।	1354 दिनांक– 02. 07.19	उप विकास आयुक्त, सीवान	स्मार देने का निदेश दिया गया।

6.5–**बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोगः–** बताया गया कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग से सम्बंधित निम्नलिखित मामले लंबित है,जिसके लिए सम्बंधित पदाधिकारियों को स्मार दिया गया है:–

क्र0	पत्र का विषय	भेजे गए पत्र की संख्या एवं दिनांक	पदाधिकारी का पदनाम, जिन्हें पत्र प्रतिवेदन भेजा गया है।	अभ्युक्ति
1	दि0 25.10.18 को उपद्रवियों के उपद्रव से आवेदक के निजी नाद,खूटा एवं दूकान को तोड़–फोड़ करना तथा आग लगाने के सम्बंध में री नूर आलम,पे0 गुलाम मुस्तफा सा0 पसनौली गगन, थाना–महाराजगंज का आवेदन पत्र	1056 दिनांक– 31.05.17	थानाध्यक्ष,महाराज गंज	पुलिस अधीक्षक से व्यक्तिगत रुप से मिल कर स्थिति से अवगत कराने एवं प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
2	कब्रिस्तान घेराबंदी की येाजना विफल करते हुए असामाजिक समुदाय के लोगों के साथ मारपीट एवं लूटपाट करने संबंध में अजहर अली,ग्राम–खानपुर का आवेदन	1094 दिनांक– 21.05.18	पुलिस अधीक्षक, सीवान	
3	मो0 शमीम अख्तर, पूर्व अवर सचिव, गृह विभाग को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में।	470 दिनांक– 03.03.19	पुलिस अधीक्षक, सीवान	

6.6–**लोकायुक्त,बिहार**– बताया गया कि लोकायुक्त,बिहार से संबंधित निम्नलिखित मामले लंबित हैं, जिसके लिए संबंधित पदाधिकारियों को स्मार दिया गया है:–

क्र0	पत्र का विषय	भेजे गए पत्र की संख्या एवं दिनांक	पदाधिकारी का पदनाम, जिन्हें पत्र प्रतिवेदन भेजा गया है।	अभ्युक्ति
1	परिवाद सं0–2/लोक(पं0रा0) 3/2016 में श्री जगलाल साहू,से0नि0 पंचायत सचिव को सेवा निवृति के दो साल भी बकाया वेतन कुल 1778 रु0 का भुगतान लंबित रहने के संबंध में	156 दिनांक 18.01.19	जिला पंचायत राज पदा0, सीवान प्र0वि0पदा0, हुसैनगंज	कड़ा स्मार देने एवं स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।
2	परिवाद सं0–1/लोक (शिक्षा) 18/2016 सीवान जिलान्तर्गत धरीक्षण चौधरी इण्टर कॉलेज, बड़हरिया में वित्तीय वर्ष 2011–12 में पोषाक राशि के गबन एवं घोटाला की जॉच के संबंध में	735 दिनांक 15.04.19	पुलिस अधीक्षक,सीवान /जिला शिक्षा पदा0/ जिला नीलाम पत्र पदा0 /थानाध्यक्ष, बड़हरिया	स्मार देने एवं दूरभाष पर बात कर प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
3	श्री बैद्यनाथ साह सेवानिवृत राजस्व कर्मचारी, समाहरणालय,सीवान के प्रथम ए0सी0पी0 एवं द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान करने के संबंध में।	921 दिनांक 28.05.19	अपर समाहर्ता, सीवान	कड़ा स्मार देने का निदेश दिया गया।
4	परिवाद सं0–1/लोक (पंचायत) 29/2018 में दर्ज ग्राम पंचायत राज टेघड़ा , प्रखण्ड–थाना–महाराजगंज , जिला–सीवान के पंचायत सचिव द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में गाड़े गए चापाकल में नियम के विरुद्ध कार्य कर सरकारी राशि का दुरुपयोग करने के संबंध में।	882 दिनांक– 20.05.19	जिला पंचायतराज पदाधिकारी,सीवान	कड़ा स्मार देने एवं स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

5	परिवाद सं0–1/लोक (राजस्व) 34/2018 अंचल प्रशासन, हसनपुरा के कर्मियों द्वारा अनियमितता/गड़बड़ी करने तथा सरकारी कर्मचारी के आचरण के प्रतिकूल भ्रष्ट आचरण करने के संबंध में।	837 दिनांक 27.04.19	अपर समाहर्ता, सीवान	अपर समाहर्ता को तुरंत प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।

इन मामलों की समीक्षा के उपरान्त इस बात पर असंतोष व्यक्त किया गया कि प्रत्येक बैठक में स्पष्ट निदेश दिए जाने के बावजूद पदाधिकारियों द्वारा वांछित प्रतिवेदन भेजने में पर्याप्त रुचि नहीं ली जा रही है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा एवं प्रधान लिपिक, जिला सामान्य शाखा को संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों की बैठक में उनसे सम्बंधित मामलों को रखने का निदेश दिया गया। साथ ही पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क स्थापित कर संबंधित मामलों का ससमय निष्पादन कराने हेतु निदेश दिया गया। **(अनु0–प्रभारी पदा0, जिला सामान्य शाखा/सभी संबंधित पदा0)**

8–विविधः–

8.1– बताया गया कि **नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, असम** से प्राप्त दस्तावेज को नीचे अंकित पदाधिकारियों को जॉच कर प्रतिवेदन देने हेतु भेजा गया है,लेकिन अभी तक पूर्ण जॉच प्रतिवेदन प्राप्त नही हुआ हैः–

क्र0	पदाधिकारी का पदनाम	जॉच हेतु भेजे गए कुल दस्तावेजो की सं0	सत्यापन के बाद विभाग द्वारा भेजे गए कुल दस्तावेजों कीसं0	विभिनन कार्यालयों में लंबित दस्तावेजो की सं0
1	जिला शिक्षा पदाधिकारी,सीवान	285	244	41
2	कार्यपालक पदाधिकारी,नगर परिषद	55	43	12
3	जिला अवर निबंधक,सीवान	51	47	04
4	अनुमण्डल पदाधिकारी,सीवान सदर	143	131	12
5	कार्यपालक दण्डाधिकारी,महाराजगंज	10	0	10
6	कार्य0पदा0, नगर पंचायत,मैरवा	5	4	1
7	अनुमण्डल पदाधिकारी,महाराजगंज	7	0	7

बताया गया कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, असम से संबंधित अनुलपलब्ध दस्तावेजों को उपलब्ध कराने हेतु राजरव विभाग को पत्र भेज दिया गया है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा को विभाग में बात कर एवं विशेषदूत भेजकर अनुपलब्ध दस्तावेजो को प्राप्त करने का निदेश दिया गया।**(अनु0–प्र0 पदा0, जि0 सामान्य शा0)**

8.2–सी0एम0डैश बोर्ड–आई0टी0 मैनेजर द्वारा बताया गया कि सी0एम0 डैश बोर्ड से सम्बंधित प्राप्त 81 परिवादो को संबंधित पदाधिकारियों को भेज दिया गया हैं,जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

जॉच से सम्बंधित पत्र

क्र0	पदाधिकारी का पदनाम, जिन्हे पत्र भेजा गया	जॉच हेतु भेजे गए कुल पत्रों की सं0	जॉच के बाद भेजे गए प्रतिवेदन की सं0	लम्बित मामलों की सं0
1	अपर समाहर्ता,सीवान	33	00	33
2	जिला आपूर्ति पदाधिकारी,सीवान	03	00	03
3	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सीवान	01	00	02
4	कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत,सीवान	01	00	01
5	जिला अवर निबंधक,सीवान	02	00	02
6	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0 एस0,सीवान	01	00	01
7	सहायक निदेशक,सामाजिक सुरक्षा, सीवान	01	00	01
8	डी0पी0ओ0 प्लानिंग,सीवान	01	00	01
9	जिला पशुपालन पदाधिकारी,सीवान	02	00	02
10	उप विकास आयुक्त,सीवान	09	00	09
11	जिला पंचायतीराज पदाधिकारी, सीवान	09	00	09
12	जिला शिक्षा पदाधिकारी,सीवान	07	00	07
13	जिला कृषि पदाधिकारी,सीवान	04	00	04
14	जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीवान	06	00	06
15	स्थापना उप समाहर्ता,सीवान	01	00	01

प्रश्न से सम्बंधित मामले

क्र0	पदाधिकारी का पदनाम, जिन्हे पत्र भेजा गया	प्रश्न हेतु भेजे गए कुल मामलों की सं0	भेजे गए उत्तर की संख्या	लम्बित मामलों की संख्या

1	मुख्य कार्यपालक पदा0, जिला परिषद, सीवान	01	00	01

सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सी0एम0 डैश बोर्ड से संबंधित परिवादों का अनुपालन प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराएँ।

8.3–सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुठनी का निरीक्षण किया गया है और भवन की स्थिति काफी खराब पायी गयी है। छत में ईट–बालू का प्रयोग किया गया है और छत से पानी चू रहा है, लेबर रुम में शौचालय का पानी चू रहा है और फर्श भी टूटा हुआ है। **कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, सीवान को इसकी जॉच कर संबंधित संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई करने एवं अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। (अनु0–कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल,सीवान)**

8.4–सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि सदर अस्पताल परिसर में जल जमाव होने से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद,सीवान को सदर अस्पताल एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से पानी की निकासी सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। **(अनु0–कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद,सीवान)**

8.5– कार्यपालक अभियन्ता,पथ प्रमण्डल, सीवान द्वारा बताया गया कि बबुनिया मोड़ से तरवारा मोड़ तक जाने वाली सड़क पर पानी जमा हो जाने एवं उसकी निकासी नहीं होने से रोड मरम्मति का कार्य नहीं हो रहा है, जिसके कारण आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है। कार्यपालक अभियन्ता, पथ प्रमण्डल, सीवान एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद,सीवान को बैठक के बाद साथ में जाकर स्थल निरीक्षण करने एवं अतिक्रमण हटाते हुए जल की निकासी सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया ।साथ ही कार्यपालक अभियन्ता, पथ को उस स्थान पर रोलर चलाकर पथ को तत्काल आवागमन लायक बनाने का निदेश दिया गया।**(अनु0–कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद,सीवान /कार्यपालक अभियन्ता, पथ प्रमण्डल ,सीवान)**

8.6–कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, सीवान द्वारा बताया गया कि उनके कार्यालय के बगल में नगर परिषद के संवेदक द्वारा रात में कूड़ा डालकर डम्प किया जा रहा है,जिसके कारण वहाँ काफी दुर्गन्ध फैल रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि उसके कारण नाला भी जाम हो गया है जिससे जल निकासी नहीं हो रही है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद,सीवान को तत्काल कूड़ा गिराने पर रोक लगाने एवं कूड़ा को हटाकर नाला से जल की निकासी सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। **(अनु0–कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद,सीवान /कार्यपालक अभियन्ता, पथ प्रमण्डल ,सीवान)**

8.7–जिला कृषि पदाधिकारी,सीवान को धान के बिजड़ा की क्षति का प्रतिवेदन तैयार कर लेने का निदेश दिया गया।

8.8–उप विकास आयुक्त द्वारा कहा गया कि आयुक्त महोदय के यहाँ हुई बैठक में यह बात सामने आई है कि शिक्षा ऋण के लिए सबसे ज्यादा आवेदन पत्र संस्कृति विश्वविद्यालय,मथुरा, उत्तर प्रदेश एवं जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान से प्राप्त हो रहे हैं, जिससे गड़बड़ी होने की आशंका हो रही है। प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र,सीवान को इसकी जॉच कर स्थिति से अवगत कराने का निदेश दिया गया।

8.9–कार्यपालक अभियन्ता, जल निस्सरण प्रमण्डल, सीवान को जल निस्सरण की योजनाओ की पूरी सूची विलम्ब जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,सीवान को अग्रसारण पत्र के साथ भेजने का निदेश दिया गया।

8.10–नल–जल योजना के तहत जिन कनीय अभियन्ताओं की प्रतिनियुक्ति की गई थी और उनका स्थानांतरण हो गया है, उनके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में प्रतिवेदन उनके पूर्ण पता सहित 3 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश कार्यपालक अभियन्ताओं को दिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

15/7/19

उप विकास आयुक्त,
सीवान
15/7

ज्ञाप सं0–1577/सी0 दिनांक– 15 वीं जुलाई, 2019 ई0

प्रतिलिपि–पुलिस अधीक्षक,सीवान को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–उप विकास आयुक्त,सीवान/अपर समाहर्ता,सीवान/निदेशक,लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन,जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,सीवान/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,सीवान/सिविल सर्जन,सीवान/ सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों/अनुमण्डल पदाधिकारी,सीवान,महाराजगंज/भूमि सुधार उप समाहर्ता,सीवान,महाराजगंज/समाहरणालय की सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारियों/अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीवान/ महाराजगंज/वरीय कोषागार पदाधिकारी,सीवान/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी/ सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों/ कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/आई0टी0मैनेजर, सीवान को सूचना एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त,
सीवान
15/7